



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्या: 1167/बी0एफ0टी0/12/05-06

दिनांक.....
31/3/16

प्रेषक,

अधिशारी अभियन्ता (भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री कमल किशोर (अधिकृत प्रतिनिधि)
मै0थर्ड आई मीडिया प्रा0लि0,
मै0अंसल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन लि0,
मै0रैगलर विल्डर्स प्रा0लि0,
मै0नन्द एस्टेट डवलपर्स प्रा0लि0,

विषय:- खसरा सं0-412 से 416, 418, 419, 687, 690, 691(पी), 692, 693, 694, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 721, 725, 726, 728, 729, 731, 732, 734, 735, 736, 737(पी), 739, 743, 744, 770(पी), मौजा-लकावली, आगरा पर अंसल टाउन फेस-3 के मांग पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 31.03.16 को जारी पत्र को निरस्त करने हुए संशोधित पत्र में आप द्वारा प्रस्तुत ले-आउट मानचित्र निम्नानुसार शुल्कों की गणना कर स्वीकृत कर दिया गया है:-

1. निरीक्षण शुल्क	रु.	15,17,530.00
2. बाह्य विकास शुल्क	रु.	4,61,21,935.00
3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग (पूर्व में जमा धनराशि समायोजित की जायेगी)	रु.	10,00,000.00

शर्तें / प्रतिबन्ध

1. भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद-विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. आवेदक को समस्त विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
3. आवेदक को भू-जल की रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु धरोहर राशि रु.10.00 लाख मानचित्र निर्गत से पूर्व जमा करानी होगी, जो स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना/संचालनोपरांत वापस कर दी जायेगी।
4. स्थल पर भवन उपविधि के अनुसार वृक्षारोपण करना होगा।
5. विकासकर्ता द्वारा कालोनी के समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे-सड़क, बिजली, जलापूर्ति, सीवर निस्तारण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पार्क, डलाबधर, नाली, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य मानकों के अनुसार पूर्ण करने होंगे।
6. ई0डब्ल्यू0एस0 व एल0आई0जी0 के लिये रु.0.22.50 लाख की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करनी होगी।

अतः जमा कराये जाने वाली वांछित धनराशि पूर्व पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा कराने का कष्ट करें, जिससे आपका मानचित्र निर्गत किया जा सके। निर्धारित समय में वांछित धनराशि एवं औपचारिकताएँ पूर्ण न करने पर बिना किसी अन्य सूचना के मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

-HCLan

31/3/16

अधिशारी अभियन्ता (भवन)